उत्तर मध्य रेलवे

सतर्कता विभाग,
प्रधान कार्यालय,
सूबेदारगंज, इलाहाबाद,

SIV – 07 /2017

पत्र सं०: 2016/06/02809/C/V3/N/JHS

दिनाँक -01/12/2017

मुख्य परिचालन प्रबंधक,
उत्तर मध्य रेलवे,
इलाहाबाद.

विषय: रोड-साइड स्टेशनों पर कार्यरत परिचालन विभाग के कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत किए जाने के संबंध में ।

एक सतर्कता जाँच के दौरान यह संज्ञान में आया है कि उत्तर मध्य रेलवे के अधिकांश रोड-साइड स्टेशनों पर आवश्यकता पड़ने पर परिचालन विभाग के स्टाफ द्वारा संबंधित पर्यवेक्षक (यातायात निरीक्षक), जिसके आधीन वह कार्यरत है, से अवकाश लेने की अनुमति फोन पर ले ली जाती है – पर उसका कोई वास्तविक रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है । वास्तविक रिकॉर्ड का रख-रखाव न होने से न तो लिए गये अवकाशों का उचित एकाउंटल हो पाता है, और न ही यह पुष्टि हो पाती है कि जिस अवधि का अवकाश लिया गया है उसके लिए वास्तव में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति थी अथवा नहीं ।

इस विषय में अवगत कराया जाता है कि अवकाश के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से संबंधित दिशा-निर्देश Indian Railway Establishment Code (Vol-I) के पैरा 511 में निहित हैं, एवं अवकाश का रिकॉर्ड रखे जाने से संबंधित दिशानिर्देश उपरोक्त के ही पैरा 513 में निहित हैं । अतः संस्तुति की जाती है कि रोड-साइड स्टेशनों पर कार्यरत स्टाफ को अवकाश प्रदान करने के संबंध में भी उपरोक्त वर्णित नियमों व दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.

कृपया सर्व-संबंधित को अनुपालन हेतु यथानुसार निर्देशित करने का कष्ट करें ।

अ०ओ०
01.12.2017

(अमिताभ ओझा)
वरि0 उप महाप्रबंधक